नारायण बनाम हिलाराचन्द मु.न. 116/23

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18/4/23	पत्रावली प्रस्तुत / वकील अपीलांट / रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20.6.24 को पेश हो।	
20.6.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट द्वारा रेस्पो. 4, 5, 6, 8 की ओर की जिरह शेष बाकी है इस प्रकरण में कार्य पेश किया जावे, रेस्पो. शेष के नोटिस सर्वि. 80 पेश करे पेश, शेष कार्यवाही हो। वास्ते तलबी दिनांक 23.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.7.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांट शेष रेस्पोडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 18.10.24 को पेश हो।	
18.10.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट द्वारा रेस्पो. शेष के नोटिस सर्वि. 80 पेश होने पर जारी हो वास्ते तलबी दिनांक 31.12.24 को पेश हो	
31.12.24	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20.1.25 को पेश हो।	
20.1.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली किसी सुधार होकर तथ्यों से कम होकर बाद तरमीम तरमीम दाखिल दफ्तर हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर